न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–16/2023

संतोष कुमार मिश्र – आवेदक
बनाम्
हरेन्द्र मिर वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–16/2023 मूल स्वत्व वाद सं0–210/2013 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–210/2013 जो दिनांक–07.06.2018 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–16/2023 दाखिल किया गया है। आवेदक उक्त मुकदमे के पैरवी का सारा भार अपने विद्वान अधिवक्ता को देकर रोजगार के सिलसिले में बाहर चला गया था जिसके चलते मुकदमे में उचित पैरवी नहीं होने के कारण प्रार्थी का मुकदमा खारिज हो गया। मुकदमा खारिज होने से izkFkhZ@vkosnd को काफी क्षति होगी जिसका क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। आवेदक जान बूझकर अनुपस्थित नहीं रहा है बल्कि आवेदक रोजगार के सलिसिले में बाहर रहता है। वाद के सुनवाई में आवेदक/प्रार्थी हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में आवेदक/प्रार्थी किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। ऐसी स्थिति में नंबरी मुकदमा 210 सन् 2013 में पारित आदेश दिनांक–07.06.2018 को सेट एसाइड कर मुकदमे को पुजर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–16/2023 मूल स्वत्व वाद संख्या–210/2013 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–07.06.2018 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदक के नियंत्रण से बाहर था। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदक द्वारा उचित पैरवी नहीं

करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या–210/2013 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–16/2023 को न्यायहित में 3000/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या 210/2013 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय